उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–159–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–46–के/2009 (टीसी–2020 जेम पोर्टल) **दिनांक: 25/01/2020**

1 प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

2. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. महानिदेशक,
विद्युत प्रशिक्षण संस्थान,
सरोजनी नगर, लखनऊ।

4. मुख्य अभियन्ता, सामग्री प्रबन्ध,
उ0प्र0पा0का0 लि0, 708, सेक्टर–सी,
महानगर, लखनऊ।

5. मुख्य अभियन्ता (रिस्पो),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7. मुख्य अभियन्ता (सी0एम0यू0डी0),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9. मुख्य अभियन्ता(जानपद), पारेषण–द्वितीय,
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा–लेखा),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

11 मुख्य अभियन्ता (पी0पी0ए0),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12. मुख्य अभियंता (पी0एम0यू0),
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

13. मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति),
पाकालि,एस0एल0डी0सी0 परिसर,लखनऊ।

14. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराईजेशन),
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

15. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–2),
उ0प्र0पा0का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

16. मुख्य अभियन्ता पावर मैनेजमेन्ट सेल,
उ0प्र0पा0का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

17. संयुक्त सचिव (स0प्र0),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

18. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन),
उ0प्र0पा0का0 लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।

19. अधीक्षण अभियन्ता (ए0पी0डी0आर0पी0)
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

20. अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मुख्यालय,
पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

21. मुख्य अभियन्ता,
वि0आ0नि0 एवं भु0म0, शक्ति भवन विस्तार।

22. मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषयः– <u>उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस जेम(GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन का शासनादेश सं0–8/2019/ 20/1/91–का–2/2019 दिनांक 18 दिसम्बर 2019 (छायाप्रति संलग्न), जिसमें आउससोर्सिंग सेवा में कार्मिकों को रखने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है, आपको इस आशय से प्रेषित करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में संगत शासनादेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)

संख्या :159–(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2020 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
2. कट फाइल।

संलग्नकः– यथोपरि।

आर. के. गुप्ता
(आर0के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (कार्य)

संख्या–8/2019/20/1/91–का–2/2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तर प्रदेश शासन।
2. **आयुक्त एवं निदेशक,**
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0 कानपुर।
3. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

विषय :– उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित जेम की व्यवस्था लागू किये जाने विषयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–11/2017/523/18–2–2017–97(ल.उ.)/2016 दिनांक 23.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए जेम का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अतएव, सेवायें, जो जेम पर उपलब्ध है, के स्थान पर अन्य प्रकार से क्रय नहीं की जानी चाहिए।

2– मैनपावर जेम से क्रय करने के सम्बन्ध में मुख्य व्यवस्थाएं/विशेषताएं निम्नवत् है:–

1. जेम पोर्टल पर बड़ी संख्या में सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं और पूरे देश में अनेक संस्थाएं वर्तमान में जेम से मैन पावर प्राप्त कर रही हैं।

2. इस पोर्टल पर सेवा प्रदाताओं की प्रोफाइल तथा ट्रैक रिकार्ड का क्यू0सी0आई0 (क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया) द्वारा वैलिडेशन होने के बाद ही पंजीकरण होता है।

3. सेवा प्रदाताओं की सेवाओं के आधार पर लगातार रेटिंग होती रहती है।

4. किसी भी प्रकार की शिकायत (जो कि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत होती है), के आधार पर सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही भी होती है जिसमें तीन माह से लेकर तीन साल तक सेवा प्रदाता को डीलिस्ट किया जा सकता है। डीलिस्ट सेवा प्रदाताओं की सूची पोर्टल के होम पेज पर रियल टाइम में सभी क्रेताओं की सूचना हेतु उपलब्ध रहती है।

5. जेम पर भारत सरकार की प्रोक्योरमेंट से संबंधित गाइडलाइन्स, बिड माड्यूल में प्रयोग की गयी हैं जिससे प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं पारदर्शी क्रय संभव होता है। सेवा प्रदाताओं हेतु जेम में बिड करने के लिए अत्यधिक अवरोधक शर्तें क्रेताओं द्वारा न लगाने आदि के लिए पोर्टल पर आटोमेटिक व्यवस्था है।

6. आउट सोर्सिंग सेवा हेतु सर्विस लेवल यथा वेतन तथा निर्धारित कटौतियां (ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0) समय से शासन द्वारा निर्धारित खातों में जमा किया जाना आदि कान्ट्रैक्ट में विस्तृत रूप से निर्धारित है।

7. इन सभी सेवा शर्तों के अनुपालन के आधार पर सेवा प्रदाता को निर्धारित समय पर (मासिक, त्रैमासिक) क्रेता द्वारा भुगतान जेम के ऑनलाइन माध्यम से किया जाना होता है।

8. किसी भी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विस्तृत पेनाल्टी का भी प्राविधान है। उदाहरण के लिए यदि वेतन समय से नहीं दिया जाता है तो प्रति कर्मचारी 100 रुपये प्रति दिन का जुर्माना नियत है। यदि किसी क्रेता द्वारा ऐसे उल्लंघन के लिए और अधिक पेनाल्टी नियत करायी जानी है, तो उसे सम्मिलित करने का भी प्राविधान है।

9. जेम के सामान्य नियम व शर्तों में इंगित है कि अनुबन्ध (Contract) क्रेता व सेवा प्रदाता के बीच है। यदि किसी कान्ट्रैक्ट के प्रचलित रहते हुए अन्य किसी प्रकरण में सेवा प्रदाता के विरुद्ध डिलिस्टिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाती है तो इस सूचना के आधार पर अन्य क्रेता अपने स्वविवेक से अपना कांट्रैक्ट जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं परन्तु अन्य प्रचलित कान्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त नहीं होंगे।

10. यदि किसी क्रेता द्वारा किसी विशेष शर्त की आवश्यकता अनुभव की जाती है (जैसे कि निर्धारित सीमा से भिन्न न्यूनतम बिड राशि/न्यूनतम टर्नओवर अथवा कर्मियों की संख्या के अनुसार अन्य शर्तें) तो जेम में क्रेता के क्रय हेतु विशेष शर्त को सम्मिलित किये जाने की भी व्यवस्था उपलब्ध है।

11. जेम पोर्टल पर एक व्यवस्था यह भी है कि कोई क्रेता यदि अपने अनुरूप नई शर्तें जोड़कर बिड प्राप्त करना चाहता है तो वह जेम पर नई शर्त का सुझाव प्रेषित कर सकता है और जेम द्वारा शर्त को उपयुक्त पाये जाने पर क्रेता विशेष के लिए अथवा सामान्य रूप से बिड में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार कर्मियों से जबरदस्ती यदि कोई धनराशि सेवा प्रदाता लेने का प्रयास करता है तो सेवा प्रदाता पर कार्यवाही की शर्त जोड़ी जा सकती है।

3– उल्लेखनीय है कि सामान्यतः आउट सोर्सिंग कर्मियों के रखने में चार स्तरों पर भ्रष्टाचार की संभावना होती है।

1) सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान करने की एवज में कर्मियों से वसूली सम्भव है। इसे रोकने के लिए उपर्युक्त पैरा 2 के बिन्दु–11 की व्यवस्था का उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए सेवा प्रदाताओं हेतु यह स्पष्ट शर्त जोड़ी जानी होगी कि इससे सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता के विरूद्ध डीलिस्टिंग की कार्यवाही करने का अधिकार केता विभाग/एजेन्सी को होगा।

2) भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा बिन्दु कर्मियों के चयन के समय उत्पन्न हो सकता है। इसे रोकने के लिए पुनः पैरा 2 के बिन्दु–11 की व्यवस्था का उपयोग करते हुए यह अतिरिक्त शर्त जेम में जुड़वाने का प्रयास किया जायेगा कि सेवा प्रदाता द्वारा उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित sewayojan.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध आवेदकों में से ही कर्मी दिये जाएंगे। अभी सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर कैन्डीडेटस को वरिष्ठता क्रम में रखने अथवा पोर्टल पर आवेदन कर्ताओं में से रैण्डम चयन की व्यवस्था नहीं है। सेवायोजन विभाग द्वारा अपने पोर्टल को संशोधित करना होगा। सेवायोजन के पोर्टल में यह बदलाव करके सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से इस पोर्टल से ही वरिष्ठतम अथवा कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर चयनित कर्मी उपलब्ध कराने की बाध्यता जेम पोर्टल पर अतिरिक्त शर्त के रूप में जोड़ने से यह समस्या बहुत हद तक सीमित होगी। सेवायोजन के पोर्टल पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक ही व्यक्ति बार–बार, पृथक–पृथक कमांक पर अपना पंजीकरण न करा सके, हालांकि उनके पोर्टल पर आधार नम्बर का प्राविधान है। सेवायोजन विभाग को अपने पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल पंजीकरण न करा सके।

3) कर्मचारियों को तंग करने की एक संभावना उनके आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त प्रत्येक अंतराल बाद उनके निरंतरीकरण के समय उत्पन्न हो सकती है। इसे रोकने हेतु पैरा 2 के बिन्दु–11 का उपयोग कर जेम पोर्टल में नई शर्त जुड़वाने का प्रयास किया जायेगा कि एक बार किसी कर्मी को तैनात करवाने के बाद सेवा प्रदाता स्वमेव उसे बदल नहीं सकता है।

4) जेम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की निरंतरता भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा शासकीय कार्य में अचानक बड़ी बाधा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्पन्न हो जायेगी। अतः प्रस्तर–2 के बिन्दु–11 का उपयोग करके जेम पर एक नई शर्त भी जुड़वाने का प्रयास किया जायेगा कि वर्तमान में कार्य कर रहें आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। केवल नवीन कर्मी ही सेवायोजन पोर्टल से प्रस्तर–3(2) के अनुसार लिए जायेंगे।

4– उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तें भी बिड की शर्तों में सम्मिलित करायी जायेंगी:–

1) कर्मियों को विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पैनाल्टी भी लगायी जाय।

2) सेवा प्रदाता एजेन्सी के चयन हेतु न्यूनतम अर्हताए भी निश्चित कर दी जाएं ताकि सक्षम सेवा प्रदाता द्वारा ही सेवा प्रदत्त की जा सके।

3) सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैन्डीडैट्स को वरिष्ठता क्रम अथवा रैण्डम व्यवस्था के अंतर्गत चयन किये जाने हेतु सेवा प्रदाता विभागों द्वारा कर्मियों की मांग यथा– एक कर्मी के लिए पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कर्मियों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता का मूल्यांकन करते हुए किया जायेगा, जिसमें क्रेता विभाग की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर जेम पोर्टल की उपयोगिता को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में केवल जेम पोर्टल से ही मैनपावर आउटसोर्स किया जाय। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित समस्याओं के क्रमशः निराकरण के सम्बन्ध में उचित शर्त तथा प्रस्तर–4 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जेम पोर्टल में जुड़वाने की कार्यवाही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तत्काल सुनिश्चित करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23.08.2017 के क्रम में एक संशोधित आदेश जारी करेंगे। इस आदेश के जारी होने की तिथि से मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु समय–समय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नामित एजेन्सियों यथा–श्रीट्रान/अपट्रान/यूपीडेस्को/यूपीएसआईसी इत्यादि जिनके माध्यम से वर्तमान में आउटसोर्सिंग व्यवस्था प्रचलित है, से सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त माने जायेंगे।

6– सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर कैन्डीडेटस को वरिष्ठता क्रम में रखने अथवा पोर्टल पर आवेदन कर्ताओं में रैण्डम चयन की व्यवस्था नहीं है। सेवायोजन विभाग द्वारा अपने पोर्टल को तत्काल संशोधित करना होगा। सेवायोजन के पोर्टल में यह बदलाव करके सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से इस पोर्टल से ही वरिष्ठतम अथवा कम्प्यूटर द्वारा रैण्डम आधार पर कर्मियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी **(सेवायोजन विभाग इनमें से एक विकल्प चुनकर तय करेंगे)**।

7– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभाग द्वारा उपरोक्त व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से 45 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में संगत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

8– उक्त संदर्भ में मुझे यह भी कहना है कि वर्तमान में प्रचलित आउटसोर्सिंग के अनुबन्ध (Contract) इस नई व्यवस्थों के लागू होने से स्वतः समाप्त नहीं होंगे बल्कि प्रश्नगत अनुबन्ध की वैधता अवधि अथवा 06 माह, जो भी कम हो, तक क्रियाशील रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलैक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–8/2019/20(1)/1/91–का–2/2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9) निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने हेतु।
13) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।